क्रमांक 6476-5जी: एस–I-71/33370

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

(1) हरियाणा के सभी विभागाध्यक्ष, आयुक्त अम्बाला मण्डल, सभी उपायुक्त और उप मण्डल अधिकारी।

(2) रजिस्ट्रार पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय और हरियाणा के सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश।

दिनांक चण्डीगढ़ 25 नवम्बर, 1971

विषयः––विवाहित महिलाओं के कुछ वर्गों के लिए सरकारी सेवा में प्रवेश के लिए निर्धारित आयु-सीमा में छूट ।

महोदय,

मुझे निदेश हुआ है कि मैं आप का ध्यान उपर्युक्त विषय पर संयुक्त पंजाब सरकार के पत्र संख्यांक 15003-जी-55/75504, दिनांक 23-11-1955 के अनुदेशों की ओर दिलाऊं और कहूं कि सरकार ने राज्य रोजगार समिति की सिफारिशों के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित वर्गों की स्त्रियों के सरकारी सेवा में प्रवेश के लिए निर्धारित आयु सीमा की नीति पर आगे विचार किया है :

(1) विधवाएं,

(2) पतियों से कानूनी तौर पर अलग हुई महिलाएं,

(3) तलाक शुदा महिलाएं, और

(4) पतियों द्वारा छोड़ी हुई महिलाएं ।

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ऐसी महिलाओं का जीवन आमतौर पर कष्टमय होता है, सरकार ने यह निर्णय किया है कि ऐसी महिलाओं के लिए सरकारी सेवा में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष कर दी जाए ताकि वे सामाजिक तथा आर्थिक तौर पर आराम से जीवन बिता सकें।

2 यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जो महिला उपर्युक्त वर्ग (4) के अन्तर्गत आती हो उसे अपने आवेदन पत्र के साथ इस बात का शपथ-पत्र भी संलग्न करना होगा कि वह अपने पति द्वारा छोड़ी हुई है और वह दो वर्षों से अधिक समय से अलग रह रही है तथा इस शपथ-पत्र पर दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों जैसे विधान सभा, स्थानीय निकायों, पंचायतों के सदस्य अथवा वकील हो के प्रतिहस्ताक्षर होने चाहिए । तथापि यदि किसी महिला ने पुनर्विवाह कर लिया हो तो वह आयु के मामले में उपर्युक्त रियायत की पात्र नहीं होगी।

3. कृपया इस पत्र की पावती भेजिए।

भवदीय,

हस्ता0

उप सचिव, राजनैतिक एवं सेवाएं,
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

एक-एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है :–

1. वित्तायुक्त राजस्व, तथा

2. सभी प्रशासनिक सचिव। हरियाणा सरकार ।